भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2703

दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

पशुजन्य युद्ध अभ्यास

2703. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित राष्ट्रीय मॉक अभ्यास 'पशुजन्य युद्ध अभ्यास' की मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मूल्यांकन में रोग निगरानी, अंतर-एजेंसी समन्वय या आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में किसी प्रकार की कमियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभ्यास के दौरान चिह्नित कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में पशुजन्य रोग के प्रकोप से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

क) भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार ने दिनांक 29 जून 2026 से दिनांक 3 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खारी गांव में पशु स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पशुजन्य युद्ध अभ्यास (PYA) सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस मॉक ड्रिल की मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें जैव सुरक्षा (Safety) और जैव संरक्षा (Security), तैयारी, समन्वय और संचार तंत्र, तथा ज़ूनोटिक रोगों के प्रकोप के प्रबंधन के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं से संबंधित निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) इस अभ्यास से रोग फैलने की स्थिति में तैयारी और उससे निपटने के तरीकों में कमियों की पहचान करने का मौका मिला और तदनुसार समय पर बातचीत, समन्वय, नमूना लेने और जांच के नियम, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण, अपशिष्ट का निपटान, प्रतिक्रिया दल की क्षमता का निर्माण, डॉक्यूमेंटेशन और सभी हितधारकों के बीच जानकारी साझा करने जैसे क्षेत्रों को सुदृढ़ किया गया। इस अभ्यास ने लगातार क्षमता निर्माण और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

(घ) भविष्य में ज़ूनोटिक रोगों के प्रकोपों से निपटने की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उत्तम पशुपालन पद्धतियों , जैव-सुरक्षा/स्वच्छता उपायों, पशु रोगों के लिए टीकाकरण, रोग की निगरानी और मॉनीटरिंग तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे बीमारी के प्रबंधन और प्रकोप की स्थिति में तैयारी और प्रतिक्रिया में सहायता मिलती है।

ii. LHDCP के अंतर्गत 'राज्यों को पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता' (ASCAD) घटक के तहत विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण, पशुधन रोगों की निगरानी और मॉनीटरिंग, अनुसंधान और नवाचार तथा प्रशिक्षण, और ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में सहायता करता है। इन रोगों में नए और दोबारा उभरने वाले रोग भी शामिल हैं।

iii. एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और उसे फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना, ताकि रोग संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके; इसमें निगरानी, जैव-सुरक्षा, कलिंग (Culling) ऑपरेशन, आवाजाही पर नियंत्रण और कार्रवाई के बाद की निगरानी शामिल है।

iv. पशुधन और पोल्ट्री के लिए 'मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (SVTGs)' तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य पशु चिकित्सा देखभाल में सर्वोत्तम पद्धितियां अपनाकर पशुधन स्वास्थ्य में सुधार करना और रोगों को नियंत्रित करना है। साथ ही एंटीमाइक्रोबियल जैसी दवाओं का ज़िम्मेदारीपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करना है।

v. पशु में रोग प्रकोपों की स्थिति के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए 'पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (CMP)' तैयार किया गया। इसका उद्देश्य पशु स्वास्थ्य संकट को तेज़ी से रोकना, उसके असर को कम करना और उसे संभालना है। साथ ही रोकथाम और नियंत्रण के उपायों के माध्यम से महामारी के जोखिम को कम करना है।

vi. समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उभरते हुए संक्रामक और ज़ूनोटिक रोगों से संबंधित परामर्श जारी किया गया है।

vii. ग्लैंडर्स रोगों के निवारण, नियंत्रण, रोकथाम और उसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया गया है।

viii. यह विभाग पशुधन और पोल्ट्री रोगों के लिए विशेष और रेफरल डायग्नोस्टिक सेवाओं हेतु पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं (RDDLs) और एक केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL) को सहायता प्रदान करता है। प्रयोगशाला निदान में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला जांच हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) लागू किया गया है, इसमें नमूने इक्टठे करना संरक्षित करना और उसे भेजना शामिल है।

ix. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD), भोपाल, पशुधन और पोल्ट्री में उभरने वाले और विदेशी रोगों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में काम करता है।

x. विभाग 'राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल' का सदस्य है।
